दिनांक.08-02-2016

सेवा मे

निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा
संस्थान, कानपुर

विषय - जन सूचना अधिकार 2005 के अन्तर्गत जानकारी प्राप्त करना / श्रीमान नरेन्द्र मोहन अग्रवाल को इन प्रश्नों की जानकारी देनी है।

सविनय निवेदन है महोदय मेरे कुछ प्रश्नो के जवाब चाहिये /

1- आप एन. एस. आई० के निदेशक पद पर कब नियुक्त हुए थे ?

2- जब से आप नियुक्त हुए तब से लेकर अब तक दिनांक-27/01/2016) तक टैक्सी केयर और एयर केयर दोनो के बिलों की छाया प्रति प्रदान करें ?

3- आप के संस्थान में जो भी सप्लायर सर्विस देते है। और आपको बिल देने के बाद आप कितने दिन बाद उसका भुगतान करते हैं तो उस भुगतान की रसीद की छाया प्रति प्रदान करें ?

4- आपकी योग्यता क्या है। आप अपनी डिग्री की छाया प्रति प्रदान करें ?

469
10/2/16

5 - आप अपने यहाँ कोई भी नियुक्ति कैसे करते है और उनका भुगतान कैसे करते है कृपया इसकी छाया प्रति मुझे प्रदान की जाय ?

6 - आपके यहाँ कोई भी भर्ती होती है तो वह आपकी संस्थान में जितने समय के लिये कार्य करता है। तो आप उनको एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र क्यों नहीं देते है ?

7 - क्या आपका संस्थान भारत में नहीं है क्या ? क्या आपका कोई दूसरा कानून है। या आप भारत के कानून की नियमावली को नहीं मानते है ?

8 - किस प्रक्रिया के तहत आप अपने संस्थान में उपकरण मंगवाते हैं ?

9 - आप के संस्था से एक पत्र आया है जिसकी पत्र सं० 25 (52) / 2015 / R T I उसमे ये लिखा है। उपलब्ध कराने हेतु विचार किया जायेगा। यह अधिकार आप को किसने दिया ?

10 - अतः मुझे इस जवाब से यह प्रतीत होता है कि जन सूचना अधिकार 2005 का पालन आप का संस्थान नहीं कर रहा है।

प्रार्थी

अमित त्रिपाठी पुत्र श्री डा० महेश चन्द्र त्रिपाठी
म० नं० - 299 ए नानकारी
आई० आई० टी० कानपुर - 208016

संलग्न
आप का पत्र संलग्न कर रहा हूँ। I.P.O NO - 34F 223502
पत्र - सं० 25 (52)/2015 / R T I

संख्या:25(52)/2015/RTI

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान

एकआई0एस0ओ0 9001:2008 प्रमाणित संस्थान

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

(भारत सरकार)

दूरभाष : (0512)2570575
फैक्स : (0512) 2570247
ई-मेल : nsikanpur@nic.in
वेबसाइट : http://nsi.gov.in

कानपुर, दिनांक: 05.02.2016

सेवा में,

श्री अमित त्रिपाठी,
पुत्र डा0 महेश चन्द्र त्रिपाठी,
म0 नं0 299ए नानकारी,
आई0आई0टी0,
कानपुर नगर–208016

विषयः जनसूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र दिनांक 27.01.2016 के संबंध में सूचित करना है, कि आपके द्वारा प्रेषित आई.पी.ओ. सं0 34 F 223502 दिनांक 27.01.2016 जो कि सक्षम अधिकारी के नाम पर नहीं जारी किया गया है। अतः आपसे निवेदन है कि इस स्तर पर केवल ***"निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर"*** के नाम प्रेषित करें। तत्पश्चात् आपके द्वारा मांगी गई सूचना को उपलब्ध कराने हेतु विचार किया जाएगा।

उक्त आई.पी0.ओ0 इस पत्र के साथ मूल रूप में संलग्न कर आपको लौटाया जा रहा है।

भवदीय

5/2/16

(राकेश शुक्ला)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी

संलग्नक– आई.पी.ओ. सं0–34 F 223502

RTI MATTER / BY SPEED POST

संख्या: 25(52)/2015/RTI

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान

आई०एस०ओ० 9001:2008 प्रमाणित संस्थान

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

(भारत सरकार)

दूरभाष : (0512)2570541,542,543
फैक्स : (0512) 2570247
ई मेल : nsikanpur@nic.in
वेबसाइट : http://nsi.gov.in

कानपुर, दिनांक: 16.02.2016

जारी
संख्या 718
दिनांक 16.02.16
प्रेषित

सेवा में,

श्री अमित त्रिपाठी,
पुत्र डा0 महेश चन्द्र त्रिपाठी,
म0नं0 299 ए नानकारी,
आई0आई0टी0,
कानपुर नगर–208016

विषय: जनसूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत जानकारी प्राप्त करना।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र दिनांक 27.01.2016 तथा दिनांक 08.02.2016 एवं इस संस्थान का समसंख्यक पत्र दिनांक 05.02.2016 के सम्बन्ध में सूचित करना है, कि आपके द्वारा प्रेषित आई.पी.ओ. सं0 34F 223502 दिनांक 27.01.2016 जो कि सक्षम अधिकारी के नाम पर जारी करने के बजाय श्रीमान नरेन्द्र मोहन अग्रवाल राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर के नाम जारी करने के कारण पूर्व में आपको लौटाया गया था, जिसमें आपने श्रीमान नरेन्द्र मोहन अग्रवाल के नाम पर White Correction fluid लगाकर नीचे निदेशक लिखकर उसी आई0पी0ओ0 को पुनः आपने दिनांक 08.02.2016 के आवेदन के साथ प्रेषित किया था। इस आई0पी0ओ0 का भुगतान न करते हुए डाकघर द्वारा उसे निम्न टिप्पणी के साथ इस कार्यालय को वापिस किया गया (छायाप्रति संलग्न) –

"IPO No. 34F 223502 में प्राप्त कर्ता के नाम के स्थान पर एक नाम लिखकर पुनः दूसरा नाम लिखा कर लाने पर भुगतान देना सम्भव नहीं है।"

अतः आपसे निवेदन है कि रू0 10/-- (रूपये दस मात्र) मूल्य की राशि संस्थान के कोषागार में व्यक्तिगत तौर पर जमा कर मूल रसीद आवेदन के साथ संलग्न कर संस्थान के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते है अथवा उक्त राशि का नया आई0पी0ओ0 निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर के पक्ष में, जो कानपुर में देय हो, भेज सकते है। तत्पश्चात् ही जनसूचना अधिकार अधिनियम–2005 के सेक्शन 6 के अनुसार आपके आवेदन द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

2. आपका आवेदन दिनांक 27.01.2016 आपने श्रीमान नरेन्द्र मोहन अग्रवाल, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर के नाम प्रेषित किया था, तथा दूसरे आवेदन दिनांक 08.02.2016 के "विषय" में आपने यह कथन बढ़ाया है कि "श्रीमान नरेन्द्र मोहन अग्रवाल को इन प्रश्नों की जानकारी देनी है।" इस बारे में आपको सूचित किया जाता है कि इस संस्थान में जनसूचना अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना देने हेतु अधोहस्ताक्षरी को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। अतः कार्यालय से सम्बन्धित कोई भी सूचना उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व अधोहस्ताक्षरी का है, तथा संस्थान के निदेशक जनसूचना अधिकार अधिनियम के अधीन केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी द्वारा दी जाने वाली सूचना के सन्दर्भ में अथवा सूचना के विरुद्ध अपील किये जाने हेतु प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त किये गये है।

3. इसी प्रकार आपका आवेदन दिनांक 08.02.2016 (जिसमें कि मूल आवेदन दिनांक 27.01.2016 के अधिकतम अंशों की फोटोकापी कर कुछ परिवर्तन किया गया है तथा कुछ मुद्दे अतिरिक्त जोड़े गये है।) बिना आपके हस्ताक्षर के प्राप्त हुआ है। उक्त मूल आवेदन दिनांक 27.01.2016 के आठ प्रश्नों के बजाय दिनांक 08.02.2016 के आवेदन में दस प्रश्न लिखे है, तथा उसमें किये गये परिवर्तन एवं जोड़े गये नये मुद्दों का हस्तलेख (handwriting) भी मूल हस्तलेख से भिन्न है (जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है)।

अतः आपसे यह भी निवेदन किया जाता है कि आप अपने हस्ताक्षर के साथ नया आवेदन पत्र अधोहस्ताक्षरी केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी को उचित/नये आई0पी0ओ0 के साथ, जो निदेशक राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर के पक्ष में अथवा ऊपर सूचित किये अनुसार कोषागार में राशि जमा कर मूल रसीद आवेदन के साथ संलग्न कर भेजने का कष्ट करें। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि जनसूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने में अधिनियम के सेक्शन 5 (3) के तहत अधोहस्ताक्षरी आपको इस कार्यालय में आवश्यक सहायता प्रदान कर सकते है, जिसके लिए आप किसी भी कार्यदिवस में पूर्वान्ह 09:30 से सायं 06:00 तक अधोहस्ताक्षरी से मुलाकात कर सकते है।

उक्त आई0पी0ओ0 सं0 34 F 223502 इस पत्र के साथ मूल रूप में संलग्न कर लौटाया जा रहा है।

भवदीय

(राकेश शुक्ला)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी

संलग्न– उपरोक्तानुसार

दस टका दश टाका दस रुपिया दहा रुपये दस रुपए दश रूपयाणि

NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर

INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS

PAY TO

इस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

कमीशन COMMISSION RUPEE

SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE

AT THE POST OFFICE AT

के डाकघर में अदा करें

डाक टिकट POSTAGE STAMPS

पोस्टमास्टर POSTMASTER

इस लाइन के नीचे न लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

34F 223502

दिनाँक
27/01/2016

सेवा में
श्रीमान नरेन्द्र मोहन अग्रवाल
एन. एस. आई.
कानपुर

P.I.O.
2/1

विषय - जन सूचना अधिकार 2005 के अन्तरगत जानकारी प्राप्त करना।

सविनय निवेदन है महोदय मेरे कुछ प्रश्नों के जवाब चाहिये।

1- आप एन. एस. आई. के निदेशक पद पर कब नियुक्त हुए थे?

2- जब से आप नियुक्त हुए तब से लेकर अब तक दिनाँक - 27/01/2016) तक हैल्थ केयर और रूपर केयर दोनो के बिलो की छाया प्रति प्रदान करे?

3 - आप के संस्थान में जो भी सप्लायर सप्लाई देते है। और आपको बिल देने के बाद आप कितने दिन बाद उसका भुगतान करते है तो उस भुगतान की रसीद की छाया प्रति प्रदान करे?

4 - आपकी योग्यता क्या है। आप अपनी डिग्री की छाया प्रति प्रदान करे?

पी. डी. ओ.

543
29-1-16

5 - आप अपने यहाँ कोई भी नियुक्ति कैसे करते हैं और उनका भुगतान कैसे करते हैं कृपया इसकी छाया प्रति मुझे प्रदान की जाय ?

6 - आपके यहाँ कोई भी भर्ती होती है तो वह आपकी संस्थान में जितने समय के लिये कार्य करता है। तो आप उनको एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र क्यों नहीं देते हैं?

7 - क्या आपका संस्थान भारत में नहीं है क्या ? क्या आपका कोई दूसरा कानून है। या आप भारत के कानून की नियमावली को नहीं मानते है ?

8 - किस प्रक्रिया के तहत आप अपने संस्थान में उपकरण मंगवाते हैं?

I.P.O. No. 34F 223502

प्रतिलिपि

1- महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार नई दिल्ली
2- माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार नई दिल्ली
3- माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली
4- माननीय गृहमंत्री जी भारत सरकार नई दिल्ली

Amit

प्रार्थी

अमित तिवारी पुत्र श्री
डा. महेश चन्द्र तिवारी
म. नं. - 299 ए नानकारी
आई आई टी कानपुर-208016

दिनांक 08-02-2016

सेवा में

निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा
संस्थान, कानपुर

विषय - जन सूचना अधिकार 2005 के अन्तर्गत जानकारी प्राप्त करना / श्रीमान नरेन्द्र मोहन अग्रवाल को इन प्रश्नों की जानकारी देनी है।

सविनय निवेदन है महोदय मेरे कुछ प्रश्नों के जवाब चाहिये।

1- आप एन. एस. आई. के निदेशक पद पर कब नियुक्त हुए थे ?

2- जब से आप नियुक्त हुए तब से लेकर अब तक दिनांक -27/01/2016) तक टेक्सी केयर और एयर केयर दोनो के बिलों की छाया प्रति प्रदान करें ?

3 - आप के संस्थान में जो भी सप्लायर सर्विस देते है। और आपको बिल देने के बाद आप कितने दिन बाद उसका भुगतान करते है तो उस भुगतान की रसीद की छाया प्रति प्रदान करें ?

4 - आपकी योग्यता क्या है। आप अपनी डिग्री की छाया प्रति प्रदान करें ?

469
10/2/16

5 आप अपने यहाँ कोई भी नियुक्ति कैसे करते हैं और उनका भुगतान कैसे करते हैं कृपया इसकी छायाप्रति मुझे प्रदान करें जैसा ?

6 - आपके यहाँ कोई भी भर्ती होती है तो वह आपकी संस्थान में जितने समय के लिये कार्य करता है। तो आप उनको एक्सपीरिंस प्रमाण पत्र क्यों नहीं देते है?

7 - क्या आपका संस्थान भारत में नहीं है क्या ? क्या आपका कोई दूसरा कानून है। या आप भारत के कानून की नियमावली को नहीं मानते है ?

8 - किस प्रक्रिया के तहत आप अपने संस्थान में उपकरण मगवाते हैं।

9 - आप के संस्था से एक पत्र आया है जिसकी पत्र सं० 25 (52) / 2015 / RTI उसमे ये लिखा है। उपलब्ध कराने हेतु विचार किया जायेगा। यह अधिकार आप को किसने दिया ?

10 - अत: मुझे इस जवाब से यह प्रतीत होता है कि जन सूचना अधिकार 2005 का पालन आप का संस्थान नहीं कर रहा है।

प्रार्थी

अमित त्रिपाठी पुत्र श्री
डा० महेश चन्द्र त्रिपाठी
म० नं० - 299 एफ नानकारी
आई० आई० टी कानपुर - 208[illegible]
I.P.O NO - 34F 223502

संलग्न
आप का पत्र संलग्न कर रहा हूँ।
पत्र - सं० 25 (52) / 2015 / RTI

IPO No 34F 223502 में प्राप्त कर्ता के नाम के स्थान पर एक नाम लिखा कर, पुनः दूसरा नाम लिखा कर भेजने पर भुगतान देना सम्भव नहीं है

13-2-16

[illegible]